रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032021-225876
CG-DL-E-15032021-225876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2021/फाल्गुन 21, 1942
No. 132] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2021/PHALGUNA 21, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

सा.का.नि. 173(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रारूप नियमों में और संशोधन करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 337(अ), तारीख 29 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 29 मई,2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110,110क और 110ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियमावली,1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (पाँचवा संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

(3) केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है के नियम 126 में-

(क) दिनांक से," के पश्चात् "कृषि ट्रैक्टर, निर्माण उपस्कर वाहन, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर्स" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्: -

परन्तु इस नियम में विनिर्दिष्ट सभी परीक्षण एजेंसियां, इस नियम के अधीन ऐसे मानकों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर गुणवत्ता मानक, विशेष रूप से एआईएस (ऑटोमोटिव उद्योग मानक) का अनुपालन शुरू करें और इस नियम के अधीन अधिसूचित की जाने वाली परीक्षण एजेंसियों के मानकों की अनुपालना इस तरह के मानकों की अधिसूचना की तारीख या इस नियम के अधीन आवेदन की तारीख से, जो भी बाद में हो, के अनुपालन में होगा:

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन परीक्षण एजेंसियों की प्रत्यापन, रजिस्ट्री और विनियमन के प्रयोजनार्थ इस नियम के अधीन अधिसूचित एआईएस में विहित गुणवत्ता नियंत्रण और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि इन नियमों के अनुपालन के लिए मोटर वाहनों के टाइप अनुमोदन और प्रमाणन की प्रक्रिया भी समय-समय पर संशोधित या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई हो,के अनुसार एएसआई:017-2000 के अनुरूप होगी और तकनीकी विशिष्टताओं की सूचना वाहन निर्माता द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-007 (संशो.5): 2014 के अनुरूप प्रस्तुत की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में भारत में आयात किए गए वाहनों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना में परीक्षण एजेंसियों को उस एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उस विशेष मॉडल और टाइप का एक वाहन प्रस्तुत करेंगे:

परन्तु यह और भी कि, परिवर्तित, रेट्रोफिटेड या रूपांतरित मोटर वाहनों का परीक्षण किया जाएगा और इस नियम में विनिर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा इस अधिनियम की धारा 52 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में टाइप को अनुमोदित या मूल उपस्कर निर्माताओं द्वारा स्व-प्रमाणित या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वर्क शॉप द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि कोई बस बॉडी बिल्डर आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस: 052, (संशो 1) के अनुपालन में बस बॉडी डिज़ाइन और अनुमोदन के लिए आवश्यक कोड और तरीकों के अनुपालन में ड्राइव अवे चेसिस पर निर्मित बस बॉडी को स्व-प्रमाणित कर सकता है:

परन्तु यह और भी कि बस बॉडी बिल्डर स्व-प्रमाण पत्र को XXXX XXXXXXXXXX प्रारूप में एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा, जिसके पहले चार वर्ण बॉडी बिल्डर पहचान कोड प्रदर्शित करते हैं, इसके बाद के चार अंक निर्माण का वर्ष दर्शाते हैं, इसके बाद की छह संख्या उस विशेष वर्ष में क्रम संख्या होती है:

परन्तु यह और भी कि बस निकायों और ट्रक निकायों के प्रोटोटाइप को परीक्षण और टाइप अनुमोदन के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथोचित स्वीकृत राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा विनिर्दिष्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है।"

4. उक्त नियमों में नियम 126क के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा किया जाएगा, अर्थात्: -

"126क का उत्पादन टाइप अनुमोदन और अनुरूपता - (1) जहां परीक्षण एजेंसी किसी वाहन को एक टाइप के वाहन के रूप में अनुमोदित करती है, तो वे समय-समय पर संशोधित एआईएस 017 में निर्धारित प्रक्रियाओं और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे (इसके बाद इसे "टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा), जिसमें बताया जाता है कि वाहन धारा 110 के अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करता है;

(2) निर्माता, आयातक या डीलर द्वारा प्रस्तुत किए गए परीक्षण वाहन पर लागू टाइप अनुमोदन आवश्यकताओं के अनुरूप परीक्षण एजेंसी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के आधार पर एक टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

(3) परीक्षण एजेंसी द्वारा टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने के साथ प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने के कारण देते हुए एक रिपोर्ट देनी होगी।

(4) केंद्रीय सरकार या इस नियम के अधीन नियुक्त किसी भी अधिकारी को यदि ऐसा लगता है कि जिस आधार पर टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र दिया गया है उसकी किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ है, तो वह मोटर वाहन को जारी किए गए टाइप के अनुमोदन प्रमाण पत्र को रद्द या निलंबित कर सकता है:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले केंद्रीय सरकार या इस उप-नियम के अधीन नियुक्त कोई भी अधिकारी टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र धारक को उसका पक्ष रखने और उसे लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करने का अवसर देगा:

परन्तु यह और भी कि इसके अतिरिक्त जहां केंद्रीय सरकार या इस उप-नियम के अधीन नियुक्त कोई भी अधिकारी इस उप-नियम के अनुसरण में किसी प्रमाण पत्र को रद्द या निलंबित करता है, तो रद्द या निलंबन का आधार बताते हुए एक आदेश जारी किया जाएगा:

(5) नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसियां यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ये वाहन अधिनियम की धारा 110 और धारा 110ख के अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं, इस नियम के तहत टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद निर्माता या डीलर या गोदाम, जैसा भी मामला हो, के उत्पादन लाइन से लिए गए उत्पाद की अनुरूपता के लिए मोटर वाहनों का परीक्षण करेगी:

परन्तु दिए गए किसी बेस मॉडल के लिए भारत में बेचे गए वाहनों की संख्या और भारत में निर्मित या भारत में आयात किए गए इसके वेरिएंट साल में लगातार छह महीने की किसी भी अवधि में 250 से कम हो, तो ऐसे बेस मॉडल और इसके वेरिएंट के लिए उपरोक्त परीक्षण किए जाने की जरूरत नहीं है, यदि उस निर्माता या आयातक द्वारा निर्मित या आयात किए जाते हैं, जैसा कि मामला हो, तो कम से कम एक मॉडल या इसके वेरिएंट का वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा परीक्षण होता है:

परन्तु यह और भी कि, इसके अलावा निर्मित या आयात किए गए बेस मॉडल और इसके वेरिएंट की संख्या एक से अधिक हो और यदि व्यक्तिगत बेस मॉडल और इसके वेरिएंट एक वर्ष में छह महीने की किसी भी अवधि में 250 से कम हैं, तो परीक्षण एजेंसियां इस तरह के मॉडल और इनके वेरिएंट में से एक वाहन को साल में एक बार इस तरह के परीक्षण के लिए चुन सकती है।"

6.उक्त नियमों के नियम 126ख का लोप कर दिया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 127 के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"127क मानकों की गैर-अनुपालना - (1) इस नियम के प्रावधानों के अधीन एक जांच अधिकारी या इस नियम के तहत सशक्त अधिकारी जांच करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो अधिनियम की धारा 109 के अधीन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों की अनुपालना और धारा 110 के अधीन निर्धारित मानकों की अनुपालना लागू करने के लिए आवश्यक हैं।

(2) जांच अधिकारी, इस अध्याय के द्वारा या इसके अधीन लागू किए गए मानकों का उल्लंघन है या नहीं, यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति के निवास के रूप में अधिकृत परिसरों के अलावा एक वाहन निर्माता या कंपोनेंट निर्माता अथवा आयातक या किसी मोटर वाहन या कांपोनेंट, जैसा भी मामला हो, के रेट्रोफ्रिटर के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और किसी कंपोनेंट के उत्पादन से संबद्ध किसी भी रिकॉर्ड या प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें परीक्षण करने की कोई व्यवस्था सहित सॉफ्टवेयर या मोटर वाहन या रेट्रो-फिटमेंट शामिल है। जांच अधिकारी द्वारा इस तरह का प्रवेश और निरीक्षण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उप सचिव रैंक से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।

(3) यदि जांच अधिकारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि इस अध्याय के अधीन या इसके द्वारा लागू किए गए मानकों का उल्लंघन हुआ है, तो उसे -

(क) यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या इस तरह का कोई उल्लंघन हुआ है, निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, से जांच के अधीन मोटर वाहन या कंपोनेंट से संबंधित सभी आवश्यक सूचना की आपूर्ति करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रिकॉर्ड प्रस्तुत करना शामिल है;

(ख) किसी भी रिकॉर्ड की आवश्यकता हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत है और परिसर में सुलभ होता है, जिसे ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो सुविधाजनक हो और जिसे रिकॉर्ड के लिए संग्रहीत किया जा सकता है;

(ग) परीक्षण या अन्यथा द्वारा यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या मानकों का उल्लंघन हुआ है, तो तैयार मोटर वाहन या इसके घटक हिस्से अथवा सॉफ़्टवेयर, जिनमें ऐसे किसी उल्लंघन होने का संदेह है, का एक नमूना प्राप्त करना; और

(घ) जांच के अधीन, विक्रय और गैर विक्रय किए गए वाहन के स्टॉक रजिस्टर को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

(4) उप-नियम (3) के खंड (ग) के अधीन नमूने प्राप्त करने वाला अधिकारी प्रपत्र 50ए के अधीन नमूने प्राप्त करने का वह लिखित कारण उस व्यक्ति को देगा, जिससे नमूने लिए गए थे;

(5) उप-नियम (3) के खंड (ग) के अधीन नमूना प्राप्त करने के बाद अधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट परीक्षण एजेंसी या किसी अन्य एजेंसी, जिसे इस संबंध में केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट कर सकती है अथवा एक से अधिक ऐसी एजेंसी जो जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती है, को नमूना भेज सकता है और ऐसी एजेंसी अधिकारी को साठ दिनों के भीतर प्ररूप 50बी के अनुसार इस अध्याय के द्वारा या इसके अधीन लागू किए गए मानकों की अनुपालना पर रिपोर्ट भेजेगी;

(6) एजेंसी द्वारा परीक्षण करने की लागत निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा वहन की जाएगी और यदि इस तरह के परीक्षण करने वाली एजेंसियों द्वारा विनिर्देशों से हटकर कोई अंतर के बारे में नहीं बताया जाता है, तो निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर केंद्रीय सरकार से इस तरह के परीक्षण पर व्ययित शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। ।

(7) उप-नियम (5) के अधीन एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त होने परजांच अधिकारीपरीक्षण के निष्कर्षों के साथ ऐसी रिपोर्ट प्रपत्र 50सी में केंद्रीय सरकार कोया इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नामित ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है;

(8) उप-नियम (7) के अधीन जांच अधिकारी के निष्कर्षों की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नामित ऐसा अधिकारी आवश्यक समझने पर इस अधिनियम की धारा 182क के अधीन मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो और इस तरह के अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है;

परन्तु मानक की गैर-अनुपालना का पता चलने वाले मोटर वाहन के संबंध में निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो द्वारा की गई स्वैच्छिक सुधारात्मक कार्रवाई को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 182क के अधीन कार्यवाही शुरू करते समय ध्यान में रखा जा सकता है:

परन्तु यह और भी कि इसके अतिरिक्त इस नियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जिस दिन जांच अधिकारी के निष्कर्ष प्राप्त हुए, उस तारीख से छह महीना आगे कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए।

(9) धारा 182क के अधीन शुरू की गई कार्यवाही के दौरान केंद्रीय सरकार या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नामित ऐसा अधिकारी नियम 127ख के अनुसार निलंबन आदेश जारी कर सकता है।

127ख. निलंबन आदेश- (1) केंद्रीय सरकार या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नामित ऐसा अन्य अधिकारी धारा 182क के अधीन कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो,

को निलंबन आदेश जारी कर सकता है और मोटर वाहन के उन निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, को प्रतिबंधित कर सकता है, जिन पर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने पर कार्यवाही की गई है, अर्थात्: -

(क) भारत में बाजार में जांच के अधीन मोटर वाहन के मॉडल या वेरिएंट, उसके घटक भाग या सॉफ्टवेयर को लगाना, बाजार में लगाने की पेशकश करना, बाजार में लगाने के लिए सहमत होना या लगाने के लिए बाजार में प्रदर्शित करना, या

(ख) जांच के अधीन मोटर वाहन के मॉडल या वेरिएंट अथवा कंपोनेंट की भारत में आपूर्ति करना, इसकी आपूर्ति करने की पेशकश करना, इसकी आपूर्ति करने के लिए सहमत होना:

परन्तु निलंबन आदेश के अधीन निलंबन की अवधि धारा 182क के अधीन शुरू की गई कार्यवाही की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) जांच के अधीन मोटर वाहन या कंपोनेंट के संबंध में निलंबन आदेश दिए गए निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को ऐसे मोटर वाहनों या उनके घटक भागों के बारे में अधिकारी को सूचित करते रहने की आवश्यकता हो सकती है।

127ग. दोषपूर्ण मोटर वाहन और सड़क से हटाने का नोटिस - (1) केंद्रीय सरकार धारा 110क की उप-धारा (5) में प्रदान की गई ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और इस नियम के प्रयोजनार्थ नामित अधिकारी के रूप में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक अधिकारी नामित करेगी;

(2) मोटर वाहन का मालिक, परीक्षण एजेंसीया केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित कोई अन्य स्रोत इस नियम के अधीन नामित अधिकारी को मोटर वाहन के विशेष प्रकार को दोषपूर्ण मोटर वाहन के रूप में नामित करने के लिएवाहन रिकॉल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण 1- इस नियम के प्रयोजनार्थ "दोष" का तात्पर्य किसी वाहन या कंपोंनेंट या सॉफ़्टवेयर में कोई दोष है, जो सड़क सुरक्षा या पर्यावरण के लिए अनुचित जोखिम होता है या होने की संभावना है और यह उसी डिज़ाइन के वाहनों के समूह में या निर्माण में या एक ही टाइप और विनिर्माण के उपकरण के आइटमों में मौजूद होता है और जो डिजाइन, निर्माण या निर्माता के एसेम्बली चरण से ही होता है;

स्पष्टीकरण 2- इस नियम के प्रयोजनार्थ "दोषपूर्ण मोटर वाहन" का तात्पर्य ऐसा मोटर वाहन होगा, जो अधिनियम की धारा 110क की उप-धारा (1) के अधीन आता है और इसमें ऐसा मोटर वाहन शामिल होगा, जिसमें एकघटक भाग के साथ ही सॉफ्टवेयर भी दोषपूर्ण हो सकता है।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किए गए आवेदन में मोटर वाहन, मोटर वाहन के शिकायतकर्ता या मालिक, मोटर वाहन या कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर में दोष की प्रकृति, मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, द्वारा दोष, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए की गई स्वैच्छिक कार्रवाई का विवरण और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य जानकारी निहित होगी;

(4) नामित अधिकारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि मोटर वाहन एक दोषपूर्ण मोटर वाहन है, और यह दोष एक ही डिजाइन या निर्माण के वाहनों के समूह में या एक ही टाइप और मैन्युफेक्चर के उपकरण के आइटम मौजूद है और जो डिजाइन, विनिर्माण या असेंबली चरण में उत्पन्न हुआ है और इसकी पहले ही आपूर्ति कर दी गई है या उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा चुका है, तो ऐसा अधिकारी स्वत: संज्ञान लेकर मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर,जैसा भी मामला हो, को सड़क से वाहन हटाने का नोटिस जारी कर सकता है;

परन्तु रिकॉल नोटिस जारी करने से पहलेनामित अधिकारी उप-नियम (5) और (6) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा:

(5) यदि नामित अधिकारी को उप-नियम (2) के अधीन एक आवेदन प्राप्त हुआ है या उसने उप-नियम (4) के अधीन स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है, [सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उप सचिव के पद से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्], तो वह मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफ़िटर, जैसा भी मामला हो, को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और ऐसा निर्माता, आयातक या रेट्रोफ़िटर कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर नामित अधिकारी को यथोचित माने जाने वाला उत्तर दे सकता है:

परन्तु नामित अधिकारी पिछले बारह महीनों के भीतर प्राप्त सूचना के आधार पर मोटर वाहनों के मालिक द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर इस नियम के अधीन प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें वाहन रिकॉल पोर्टल से जानकारी शामिल हो सकती है कि मोटर वाहन के एक टाइप में किसी विशेष दोष की शिकायत के लिए मालिकों के ऐसे प्रतिशत को अधिसूचित किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन पर लागू मानक मोटर वाहन के निर्माण, आयात या रिट्रोफिटमेंट के समय लागू होगा:

परन्तु यह और कि वाहन को सड़क से हटाना निर्मित या आयातित या रेट्रोफिटेड उन वाहनों तक सीमित हो, जो निर्माण, आयात या रेट्रोफिटमेंट की तारीख से सात वर्ष से कम हैं।

(6) उप-नियम (5) के अधीन मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, से उत्तर प्राप्त करने के बाद या यदि मोटर वाहन के उक्त निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, नेतीस दिनों के भीतर कोई उत्तर नहीं दिया है, तो नामित अधिकारी यह जांचने के लिए कि क्या मोटर वाहन दोषपूर्ण मोटर वाहन है या नहीं ऐसी यथोचित प्रक्रिया अपनाएगा।

(7) उप-नियम (4) के अधीन मोटर वाहनया उसके घटक भाग या सॉफ्टवेयर पर किए गए किसी भी परीक्षण की लागत या शुल्क निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, द्वारा वहन किया जाएगा;

(8) यदि नामित अधिकारी को पता चलता है कि वाहन एक दोषपूर्ण मोटर वाहन है और उसे हटाने का नोटिस जारी किया जाना आवश्यक हैया मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफ्रिटर, जैसा भी मामला हो, ने नियम 127घ के अधीन घोषणा की है, तो नामित अधिकारी को:

(क) मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, से सभी दस्तावेज और वाहन के निर्माण के बारे में आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी;

(ख) मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, से सभी जानकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी;तथा

(ग) मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, से रिकॉल नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सूचना देने की आवश्यकता होगी ।

(9) नामित अधिकारी, इस नियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को रीकॉल नोटिस जारी कर सकता है, जिसके लिए उन्हें इसमें निर्दिष्ट ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, जिसमें शामिल हैं:

(क) जहां तक ऐसा करना व्यावहारिक हो, तो उन उपभोक्ताओं से संपर्क करें जिन्होंने मोटर वाहन खरीदा है, ताकि उन्हें वाहन हटाने के बारे में सूचित किया जा सके;

(ख) ऐसे रूप और तरीके में नोटिस प्रकाशित करें कि मोटर वाहन के जोखिम और उन्हें हटाने के तथ्य के बारे में मोटर वाहन के खरीदारों का ध्यान आकर्षित किया जा सके;

(ग) मोटर वाहन को एकत्रित करने या उसमें सुधार करने की व्यवस्था करना और आवश्यक हो इन्हें खरीदने वाले उपभोक्ताओं से मोटर वाहन एकत्रित करने या इसके निपटान के लिए आपूर्ति सुविधा प्रदान करना;

(घ) नोटिस में निर्दिष्ट व्यक्ति को उपभोक्ताओं से मोटर वाहन की वापसी प्राप्त करने या उसके निपटान को ध्यान में रखते हुए नोटिस प्राप्त करने वाले पर ऐसी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक हैं; तथा

(ड.) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशितमामला दर मामला के आधार पर नीचे दी गई तालिका के अनुसारसीमा के भीतर ऐसा जुर्माना लगाया जाए -

तालिका

हटाए गए वाहनों की संख्या **(मोटर यान अधिनियम, 2019 की 110क(4) के अतिरिक्त हटाए गए वाहनों के लिए)**				**जुर्माना**
2 डब्ल्यू	**3 डब्ल्यू और एल 7**	**एम 1, एन 1**	**एम2, एम3, एन2, एन3, टी3, टी4**	
1 से 6000	1 से 3000	1 से 1,000	1 से 500	10 लाख
6001 से 60,000	3.001 से 30,000	1,001 से 10,000	501 से 5000	20 लाख
60,001 से 6,00,000	30,001 से 3,00,000	10,001 से 1,00,000	5,001 से 50,000	50 लाख
6,00,000 से अधिक	3,00.000 से अधिक	1,00,000 से अधिक	50,000 से अधिक	100 लाख

(10) मोटर वाहन का कोई भी निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, हटाए गए वाहनों की नोटिस से असंतुष्ट होने पर हटाए गए वाहनों की नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

127घ. निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के दायित्व - (1) मोटर वाहन के प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, को इन नियमों के अनुलग्नक XII में निर्दिष्टानुसार मोटर वाहन को सड़क से हटाने के विनियमन प्रक्रिया करनी होगी। मोटर वाहन के प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, को उक्त प्रक्रिया का पालन करने में सक्षम बनाने की एक प्रक्रिया संस्थान में भी रखनी होगी। उक्त प्रक्रिया को संस्थानों की गुणवत्ता नियमावली में दर्शाया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित दायित्व की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, के लिए निम्नलिखित आवश्यक है:

(क) उनके द्वारा निर्मित, आयातित या रेट्रोफिटेड मोटर वाहनों से उत्पन्न जोखिमों के बारे में सूचित करें;

(ख) जांच करें और मोटर वाहनों के नमूने ले सकते हैं और उनकी सुरक्षा जांच कर सकते हैं;

(ग) वाहन हटाने से संबंधित शिकायतों का एक रजिस्टर बनाएं और डीलरों को ऐसी निगरानी के बारे में सूचित करते रहें;

(घ) वाहन हटाने से संबंधित जोखिमों से बचने के लिए उचित कार्रवाई करना, जिसमें बाजार से मोटर वाहन को हटाने, उपभोक्ताओं को पर्याप्त और प्रभावी रूप से चेतावनी देना शामिल; तथा

(ड.) इन नियमों के अनुलग्नक XII में दी गई आवश्यकता की अनुपालना।

(3) जहां मोटर वाहन का कोई निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, उनके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर जानता है कि उनके द्वारा निर्मित, आयातित या रेट्रोफिटेड मोटर वाहन उपभोक्ता के लिए जोखिम पैदा करते हैं और अधिनियम की धारा 110क के अर्थ के भीतर संभावित रूप से दोषपूर्ण मोटर वाहन हैं, तो वे इस अध्याय में नामित अधिकारी को विशेष रूप से उपभोक्ता को जोखिम से बचाने के लिए उठाए गए कदमों या प्रस्तावों का विवरण देते हुए तुरंत सूचित करेंगे।

(4) जब मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, को नियम 127ग के अधीन वाहन हटाने का नोटिस दिया जाता है, तो वे अधिनियम की धारा 110क के उप-खंड (3) में यथानिर्दिष्ट उपाय करेंगे।

(5) मोटर वाहन के प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी हो, प्रभावित वाहनों के सभी रजिस्ट्रीकृत मालिक को वाहन हटाने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में और उस दोष, जिसके कारण वाहन हटाना शुरू किया गया है, की मौजूदगी के बारे में अपनी वेब साइट या रजिस्ट्रीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से सूचित करेंगे और इसमें रहने वालों और सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल होगा।

(6) संदेश के माध्यम से दोषपूर्ण वाहन के रजिस्ट्रीकृत मालिक को मोटर के वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर से लाभ उठाने के लिए उपलब्ध उपचार और तौर तरीकों के बारे में निर्देश दिया जाएगा।

(7) प्रथम वाहन हटाने का संदेश भेजने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत मालिक या उनके वैध प्रतिनिधि की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त होने पर इसके बाद मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, कम से कम एक और संदेश भेजेंगे। यदि इस तरह के रजिस्ट्रीकृत मालिक दूसरा रिमाइंडर भेजने के बाद भी उत्तर नहीं देता है या कार्रवाई नहीं करता है, तो मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, को ऐसे मामलों में हटाए गये वाहनों की प्रक्रिया को पूरा करने की विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटिटर, जैसा भी मामला हो, के ठोस प्रयासों के बाद भी रजिस्ट्रीकृत मालिक का पता नहीं चलता है, तो उन्हें रिकॉल प्रक्रिया को पूरा करने की विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत मालिक को इस प्रकार के संदेश यदि इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, तो उनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000का 21) के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक रिकॉल से संबंधित रिकॉर्ड को अनुलग्नक XII के प्रपत्र क और ख के अनुसारउस अवधि तक रखना होगा, जब रिकॉल निष्क्रिय नहीं हो जाता है और इसके बाद उक्त प्रपत्रों को नामित अधिकारी को जमा कराना होगा।"

7. उक्त नियमों में प्ररूप 50 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"प्रारूप सं. 50 क

[नियम 127A (4) देखें]

प्रारूप को वाहन विनिर्माता या पुर्जा निर्माता या आयातक या रेट्रोफिटर को जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि मामला मोटर या पुर्जा का हो सकता है

नोटिस आईडी	(स्व उत्पन्न)	**तारीख**	(स्व उत्पन्न)

जांच स्थल:

विनिर्माता / आयातक का नाम	(टेक्स्ट बॉक्स)
विनिर्माता आयातक का पता	(टेक्स्ट बॉक्स)

जांच का मुद्दा / विषय:

पृष्ठभूमि:

विनिर्माता के परिसर में प्रवेश करने से पहले टेक्स्ट बॉक्स को भरें; एक बार भरे जाने के बाद अपरिवर्ती रहेगा

जांच का कारण:

विनिर्माता के परिसर में प्रवेश करने से पहले टेक्स्ट बॉक्स को भरें; एक बार भरे जाने के बाद अपरिवर्ती रहेगा

साक्ष्य

प्रकार (आंकड़ा, नमूना, प्रक्रिया, समाचार, अन्य)

आंकड़ा		*नमूना*		प्रक्रिया		अन्य	

साक्ष्य विवरण:

आंकड़ा		*"डेटा" चेकबॉक्स चयनित होने पर सक्रिय होना*	

फाइल सं.	(टेक्स्ट बॉक्स)
आंकड़ा तारीख	(DD/MM/YYYY)
अन्य विवरण	(टेक्स्ट बॉक्स)
अवस्थान	(टेक्स्ट बॉक्स)

नमूना			*"नमूना" चेकबॉक्स चयनित होने पर सक्रिय होना*				
वाहन			पुर्जा			उप-समुच्चयन	

वाहन का मेक	(टेक्स्ट बॉक्स)
वाहन का मॉडल	(टेक्स्ट बॉक्स)
चेसिस नं.	(टेक्स्ट बॉक्स)
इंजन नं. / मोटर आईडी	(टेक्स्ट बॉक्स)
पुर्जा मेक	(टेक्स्ट बॉक्स)
पुर्जा मॉडल	(टेक्स्ट बॉक्स)
पुर्जा आईडी / नं.	(टेक्स्ट बॉक्स)
अभिग्रहण/ बैच की सीलिंग / उत्पादन मात्रा	
नमूना / अभिगृहीत वाहनों की सं.	
प्रक्रिया	*"प्रक्रिया" चेकबॉक्स चयनित होने पर सक्रिय होना*
(टेक्स्ट बॉक्स)	
अन्य	*"अन्य" चेकबॉक्स चयनित होने पर सक्रिय होना*
(टेक्स्ट बॉक्स)	
अतिरिक्त साक्ष्य के लिए और पन्ने जोड़ें) – साक्ष्य वृद्धि के लिए बटन	

संदेह						
(टेक्स्ट बॉक्स)						
गवाह का साक्षात्कार आवश्यक	**हां**			**नहीं**		
गवाह सं.	क्र. सं. – यदि हां **तो Yes**, यदि नहीं तो NA स्व उत्पन्न करें					
गवाह का नाम	(टेक्स्ट बॉक्स) – यदि क्र. सं. उत्पन्न होती है तो संशोधनयोग्य; यदि NA तो प्रकोष्ठ स्थिर					
गवाह का पदनाम	(टेक्स्ट बॉक्स) - यदि क्र. सं. उत्पन्न होती है तो संशोधनयोग्य; यदि NA तो प्रकोष्ठ स्थिर					
गवाह का विभाग	(टेक्स्ट बॉक्स) - यदि क्र. सं. उत्पन्न होती है तो संशोधनयोग्य; यदि NA तो प्रकोष्ठ स्थिर					
परिसाक्ष्य:						
(टेक्स्ट बॉक्स) - यदि क्र. सं. उत्पन्न होती है तो संशोधनयोग्य; यदि एनए तो प्रकोष्ठ स्थिर						
गवाह के हस्ताक्षर	*डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रावधान*					
(अतिरिक्त गवाह के लिए और पन्ने जोड़ें) - साक्ष्य वृद्धि के लिए बटन						
संलग्नक/ दस्तावेज ----						
विनिर्माता का प्रतिनिधि						
नाम	(टेक्स्ट बॉक्स)					
पदनाम	(टेक्स्ट बॉक्स)					
विभाग	(टेक्स्ट बॉक्स)					
हस्ताक्षर	*डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रावधान*					
स्टैम्प / मुहर						
जांच अधिकारी						
नाम	(टेक्स्ट बॉक्स)					
संगठन	(टेक्स्ट बॉक्स)					
पदनाम	(टेक्स्ट बॉक्स)					
विभाग	(टेक्स्ट बॉक्स)					
हस्ताक्षर	*डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रावधान*					
स्टैम्प / मुहर						

प्रारूप 50ख

(नियम 127क (5) देखें)

जांच एजेंसी द्वारा जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रारूप

(जांच एजेंसी की जांच रिपोर्ट)

दिनांक:

1.0	रिपोर्ट सं.	
2.0	जांच का संदर्भ	
3.0	शिकायत की निगरानी करने वाले केंद्रीय सरकार के जांच अधिकारी का नाम	
4.0	वाहनविनिर्माता / आयातक/ रेट्रोफिटर का नाम और पता	
5.0	सूचित दोष की प्रकृति और विवरण	
6.0	जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच की कार्य पद्धति (जांच /सत्यापन /लेखापरीक्षा)	
7.0	स्थल जहां जांच की गई	
8.0	जांच रिपोर्ट(र्टें) / उल्लिखित विवरण (यदि लागू हो)	
9.0	नमूना (वाहन / प्रणाली/ पुर्जा)	
9.1	वाहन मेक	
9.2	वाहन मॉडल / सीएमवीआर के लिए प्रमाणित रूपांतर	
9.3	वीआईएन / चेसिस नं.	
9.4	इंजन नं. / मोटर आईडी सं.	
9.5	प्रणाली/ पुर्जा/सॉफ्टवेयर मेक	
9.6	प्रणाली/ पुर्जा मॉडल	
9.7	प्रणाली/ पुर्जा/ सॉफ्टवेयरआईडी सं.	
10.0	उत्पादन बैच और उत्पादन मात्रा का विवरण जहां से नमूना लिया गया	

11.0	जांच के लिए अपनाई गई विशिष्ट पद्धति, यदि कोई हो	
12.0	जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच का विवरण (संलग्नक जोड़े जा सकते हैं, यदि आवश्यक हों)	
13.0	विशेष रिपोर्टें / इस जांच के लिए संगत संलग्नक, यदि कोई हो	
14.0	परीक्षण एजेंसी द्वारा लिए गए निष्कर्ष	
15.0	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, हस्ताक्षर, प्रत्यय पत्र	

प्रारूप 50ग

(नियम 127क(7) देखें)

जांच एजेंसी द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रारूप

(जांच एजेंसी की जांच रिपोर्ट)

दिनांक:

1.0	रिपोर्ट सं.	
2.0	जांच का संदर्भ	
3.0	शिकायत की निगरानी करने वाले केंद्रीय सरकार के जांच अधिकारी का नाम	
4.0	वाहनविनिर्माता / आयातक/ रेट्रोफिटर का नाम और पता	
5.0	सूचित दोष की प्रकृति और विवरण	
6.0	जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच की कार्य पद्धति (जांच /सत्यापन /लेखापरीक्षा)	
7.0	स्थल जहां जांच की गई	
8.0	जांच रिपोर्ट(टें) / उल्लिखित विवरण (यदि लागू हो)	
9.0	नमूना (वाहन / प्रणाली/ पुर्जा/ सॉफ्टवेयर)	
9.1	वाहन मेक	
9.2	वाहन मॉडल / सीएमवीआर के लिए प्रमाणित रूपांतर	
9.3	वीआईएन / चेसिस नं.	
9.4	इंजन नं. / मोटर आईडी सं.	
9.5	प्रणाली/ पुर्जा/सॉफ्टवेयर मेक	

9.6	प्रणाली/ पुर्जा मॉडल	
9.7	प्रणाली/ पुर्जा/ सॉफ्टवेयरआईडी सं.	
10.0	उत्पादन बैच और उत्पादन मात्रा का विवरण जहां से नमूना लिया गया	
11.0	जांच के लिए अपनाई गई विशिष्ट पद्धति, यदि कोई हो	
12.0	जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच का विवरण (संलग्नक जोड़े जा सकते हैं, यदि आवश्यक हों) और जांच परिणाम	
13.0	विशेष रिपोर्टें / इस जांच के लिए संगत संलग्नक, यदि कोई हो	
14.0	जांच अधिकारी का जांच परिणाम / सिफारिशें	
15.0	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, हस्ताक्षर,परिचय पत्र	.”.

8. उक्त नियमों में अनुलग्नकXI के पश्चात् निम्नलिखित अनुलग्नक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

अनुलग्नक-XII

(नियम 127ग देखें)

मोटर वाहन के रिकॉल को विनियमित करने की प्रक्रिया

1. परिभाषाएं:

(क) **"घटक"** का अर्थ वाहन निर्माता द्वारा वाहन के साथ वाहन में आपूर्ति या आपूर्ति की गई किसी भी भाग, असेम्बली है।

(ख) **"नामित अधिकारी"** का अर्थ है नियम 127ग के अधीन नियुक्त अधिकारी।

(ग) **"रिकॉल"** का अर्थ है कि मोटर वाहनों को सड़क उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित होने के लिए इस तरह से लागू मानकों के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया जाना आवश्यक है।कभी-कभी, बाजार में रिलीज होने के बाद, मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा कि मामला हो, की राय में, कुछ वाहनों में ऐसे मुद्दे हैं जो शायद नियम 127ग में परिभाषित 'दोष' के रूप में हैं, ऐसे वाहनों कीनिर्माता या आयातक (वितरक) द्वारा नि: शुल्क जांच और सुधार किया जाना है।इस गतिविधि को "रिकॉल" कहा जाता है।

(घ) **"रिकॉल उत्पाद"** का अर्थ एक ऐसा उत्पाद होगा जिसमें एक दोष की पहचान की गई है और उचित जांच के बाद इसकी पुष्टि की गई है।

(ङ) रिकॉल साधनों के संबंध में **"रिकॉल गतिविधि"** का अर्थ है, संभावित रूप से प्रभावित उत्पाद का निरीक्षण और सुधार, या जहां आवश्यक हो, एक दोषपूर्ण घटक, भाग या सॉफ्टवेयर के प्रतिस्थापन, यदि रिकॉल उत्पाद के संबंध में दोष पाया जाता है जिसे रिकॉल किया जा रहा है।रिकॉल गतिविधि के लिए वाहन के प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं होगी।

(च) **"रिकॉल प्रारम्भ तारीख"** का अर्थ उस तारीख से है जिसमें मोटर वाहन का निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, दोषपूर्ण वाहन के पंजीकृत मालिक को कॉल, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से रिकॉल की गई पहलों से अवगत कराएगा।

(छ) **"वाहन रिकॉल पोर्टल"** का अर्थ है, 127ग में उल्लिखित, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या नामित अधिकारी की ओर से, निर्मित, अपलोड और अनुरक्षित सुरक्षा डेटा का रिकॉल या सुरक्षा रिकॉल का डेटाबेस।इस पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों की रिपोर्ट निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को उपलब्ध कराई जा सकती है।

2. **जिम्मेदारी कर्तव्यभार** -मोटर निर्माता के प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, के संगठन के भीतर केंद्रीय सरकार या नामित अधिकारी को रिकॉल की प्रगति की रिपोर्टिंग के लिए और इस तरह के अन्य मामले के लिए रिकॉल के आरम्भ, आचरण और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपेगा।

3. **निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा प्रक्रियाओं की स्थापना**-मोटर वाहन का प्रत्येक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, अपने संगठन के भीतर ऐसी प्रक्रियाओं को स्थापित और बनाए रखेगा जो निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को यहां निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में सक्षम बनाएगा और ऐसी कार्यवाहियों को पब्लिक डोमेन में नागरिकों को उनकी जानकारी के लिए उपलब्ध भी की जाएगी।

4. **मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा सुरक्षा दोषों से संबंधित जांच-**

(i) किसी दोष के निर्धारण के लिए वाहन के चालक द्वारा विफलता की घटना की संभावना, संभावित विफलता की परिणामों की गंभीरता के साथ-साथ नियंत्रणीयता जैसे कारकों के आधार पर उचित जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

(ii) यदि मोटर वाहन का कोई निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा कि मामला हो, के पास यह मानने का कारण है कि किसी उत्पाद के किसी मॉडल, प्रकार या श्रेणी में कोई दोष मौजूद है, या हो सकता है, तो निर्माता, आयातकया रेट्रोफिटर, दोष की मौजूदगी का पता लगाने के लिए तुरंत जांच शुरू करेगा।

(iii) मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि जांच तेजी से और एक तरीके से की जाए जो उन्हें ठीक से और तुरंत यह पता करने में कि क्या दोष मौजूद है या नहीं और, यदि है, तो दोष की प्रकृति और संभावित रूप से दोष से प्रभावित उत्पाद निर्धारित करने में सक्षम करेगा।

(iv) जांच के दौरान, मोटर वाहन का निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित पर विचार करेगा:-

(क) प्राप्त जानकारी या सलाह, घटना या घटनाएं जो एक दोष के अस्तित्व और घटनाओं की संख्या और आवृत्ति को इंगित कर सकती हैं;

(ख) कब, और किन परिस्थितियों में, घटनाएँ घटित हुई हैं या हो सकती हैं;

(ग) दोष के परिणामस्वरूप होने वाली घटनाओं के परिणाम; तथा

(घ) दोष को इंगित करने वाली घटना से सीधे संबंधित कोई भी अन्य प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियां;

(v)यदि जांच और विचार से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सुरक्षा दोष मौजूद है, तो मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, वाहन को वापस बुलाने की कार्रवाई के अयोग्य होने का निर्णय ले सकता है और उत्पाद की निगरानी करना जारी रखेगा।

5. **रिकॉल का संचालन करने के लिए दायित्व. –**

1. **सामान्य दायित्व.-**

(क) यदि, इस अनुबंध के खंड 4 में उल्लिखित जांच और परिणाम स्वरूप , अगर किसी उत्पाद में दोष पाया जाता है निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसे की मोटर वाहन का मामला हो, निर्धारित प्रकिया के अधीन रिकॉल का संचालन कर सकते है।

(ख) मोटर वाहन पर लागू होने वाले मानक उस मोटर वाहन के निर्माण, आयात या रेट्रोफिटर के समय प्रचलित होगे।

2. **अपवाद**

(क) यदि कोई निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, मोटर वाहन के मामले में जैसी भी स्थिति हो ग्राहक को उत्पादन का वितरण करने से पहले अगर उत्पादन में दोष की पहचान कर लेते है तो, ऐसे उत्पाद के लिए रिकॉल का संचालन करने का दायित्व के लिए बाध्य नहीं होगे।

(ख) वाहन मालिकों के लिए दिये गये मैनुअल या हैंडबुक में यह सलाह दी जाती है की वाहन की समय समय पर मरम्मत, रखरखाव और अच्छा रखरखाव करने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है। निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा वाहन की जाँच करने पर, वाहन को रिकॉल करने के लिए अपात्र होता है, किसी फिटमेंट के मामले में दोष पायी जाने के में,वाहन मालिक या कोई एजेंसी जिसके द्वारा फेरबदल करने पर जो निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा अधिकृत नहीं किये गये हो, या अधिनियम के कानुनी प्रावधान जो प्रदर्शन को प्रभावी करते है और वाहन के उपयोग के दौरान दोष उत्पन्न करते है।

(ग) किसी भी वाहन का उपयोग जिसके लिए इसे डिजाईन और अनुमोदित किया गया है उस उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश के लिए किया जाता है तो वह रिकॉल करने के लिए आयोग्य होगा।

(घ) किसी भी वाहन रिकॉल करने के लिए आयोग्य होगा, जिसने 'फोर्स मैज्योर' के कारण एक दोष विकसित किया है, जिसमें नागरिक गड़बड़ी, या प्राकृतिक आपदाओं या आतंकवाद के कृत्यों के दौरान बर्बरता तक सीमित नहीं है।

3. रिकॉल उत्पादों की पहचान और सुधार के तरीके का निर्धारण- यदि कोई मोटर वाहन निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा, जैसा भी मामला हो, इस अनुबंध के खंड 4 के अधीन एक रिकॉल का संचालन अनुचित देरी के बिना करना आवश्यक है।

(क) रिकॉल करने वाले उत्पाद की पहचान यूनिक नंबर(एस), वाहन पहचान संख्या, क्रम संख्या अथवा ऐसी अन्य संख्या, निर्माण की तारीख,और/या ऐसे अन्य पहचान करने वाले विवरण जो उपलब्ध हो अथवा जिसे यथोचित रूप से प्राप्त किया जा सके।

(ख) ऐसे प्रणाली का निर्धारित करना जिससे रिकॉल करने वाले उत्पाद परिशोधित (यदि परिशोधन आवश्यक है) किये जा सके ताकि सुरक्षा दोष को समाप्त किया जा सके।

4. सुरक्षित रिकॉल के लिए तैयारी और प्रकाशन- मोटर वाहन निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा, जैसा भी मामला हो, उन्हे रिकॉल उत्पाद की पहचान करना और रिकॉल किये गये उत्पादों को ठीक करने के लिए प्रणाली को निर्धारित करना ,निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर द्वारा, या उनके आधिकृत डीलर द्वारा

(क) दोष की प्रकृति और / या सुधार के लिए आग्रह के संबंध में, उन चरणों को निर्धारित करें जो नियमों में निर्धारित सुरक्षा रिकॉल के ग्राहकों को सूचित करने के लिए उठाए जाने हैं और विशेष रूप से निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर मोटर वाहन का, जैसा भी मामला हो, या उनके प्रतिनिधि तैयार करेंगे

(i) मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर को उपलब्ध ऐसे रिकॉर्ड और स्रोतों से, जैसा कि मामला हो सकता है, एक सूची जिसमें नाम, पते और रिकॉल उत्पादों के मालिकों के अन्य आवश्यक विवरण शामिल हैं;

(ii) अधिकृत डीलर (ओं) को रिकॉल और निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के कार्यों के विवरणों उन्हें सूचित करने के लिए एक नोटिस और उनके डीलरों को शुरूवात करने के लिए और रिकॉल को शुरू करने के लिए संचालन की आवश्यकता होगी।

(iii) नियमों में विहित नामित अधिकारी से पत्राचार;

(iv) रिकॉल उत्पाद के मालिकों को एक नोटिस जो उन्हें उनके अधिकारों और उन कार्यों के बारे में सूचित करता है जो उन्हें रिकॉल करने की पहल का समर्थन करने के लिए लेने की आवश्यकता है।

(ख) यदि रिकॉल उत्पादों की खराबी और / या तात्कालिकता को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, संबंधित उत्पाद के मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक और या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुरक्षा दोष से अवगत कराएगा।, इस तरह की सूचनाओं को प्रसारित करने के रूप में रिकॉल करने वाले उत्पादों के मालिकों और उन कार्यों को सूचित करना आवश्यक है जो ऐसे कार्य मालिकों को तुरंत करने की आवश्यकता होगी।

5. प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता और रिकॉल गतिविधि के निर्देशों - मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, उत्पादों की दोष की प्रकृति की पहचान की है और उस तरीके को निर्धारित किया है जिसमें दोष ठीक किया जा सकता है, निर्माता, आयातक या मोटर वाहन के रेट्रोफ्रिट, जैसा भी मामला हो, ऐसी कार्रवाई करेगा

जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनके डीलरों के पास सॉफ्टवेयर सहित, उचित समय, पार्ट्स, एकत्र करने और / या सामग्री होगी, और जब मालिकों को रिकॉल उत्पाद को प्रस्तुत करने बुलाया जायेगा तब दोष को सुधारने के लिए आवश्यक तकनीकी और अन्य निर्देशों की जरूरत होगी।.

6. **नामित अधिकारी को सूचना**- मोटर वाहन के निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, जैसा भी मामला हो, या उनके अधिकृत डीलर या प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, सात कार्य दिवसों के भीतर स्वैच्छिक रिकॉल के लिए नामित अधिकारी को **फॉर्म क में दिए गए प्रारूप में कागज पर लिखित रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना दे सकते हैं।**

7. जवाब देने में रजिस्कृत मालिक या रजिस्ट्रीकृत मालिक के विधिक प्रतिनिधि की विफलता- यदि किसी रिकॉल उत्पाद का कोई रजिस्कृत मालिक पहले नोटिस का जवाब देने में विफल रहता हो या निरीक्षण के लिए वापस बुलाए गए उत्पाद को वापस लाने में विफल रहता हो, और जहां उपयुक्तसुधार की आवश्यकता है पहले सूचना के निर्माता से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर विनिर्माता आयातक या रेट्रोफिटर, या उनके प्रतिनिधि या अधिकृत डीलर, यथास्थिति अगले तीस दिनों के भीतर मालिक को अंतिम सूचना भेजेंगे और नियमों में विहित प्रगति की निगरानी करेंगे। अभिकृत अधिकारी को आवश्यकता के अनुसार रिकॉल प्रोग्रेस डेटा साझा किया जाएगा।

8. उत्पादों विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के आपूर्तिकर्ता का उत्तरदायित्व :- यदि किसी उत्पाद में कोई सुरक्षा दोष है, या हो सकता है, और उस उत्पाद को किसी अन्य व्यक्ति के आपूर्तिकर्ता से मोटर वाहन का यथास्थिति विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर के द्वारा मंगवाया गया था तो मोटर वाहन का यथास्थिति, विनिर्माता आयतक या रेट्रोफिटर, इसे तत्काल अन्य व्यक्ति को सूचित करेगें। जहां मोटर वाहन का यथास्थिति विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, उचित समझे, वे सुरक्षा दोष की प्रकृति को निर्धारित करने में अन्य व्यक्ति की सहायता मांगेगा। मोटर वाहन का यथास्थिति, विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, अन्य व्यक्ति को ऐसे उत्पाद के संबंध में एक सुरक्षा रिकॉल करने के बारे में निर्णय लिए जाने के पश्चात् अपने निर्णय से शीघ्रतिशीघ्र अन्य व्यक्ति को अवगत करायेगा। यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि सुरक्षा दोष किसी अधिनियम या चूक या अनुपालन के लिए विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप या गैर-अनुरूपता का परिणाम है जैसा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा, मोटर वाहन के यथास्थिति विनिर्माता, आयतक या रेट्रोफिटर को प्रदान किया जाता है तो आपूर्तिकर्ता ऐसे सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा जो रिकॉल उत्पादों को सुधारने के लिए आवश्यक है, जिसमें मोटर वाहन का यथास्थिति, विनिर्माता, आयतक या रेट्रोफिटर को निरंतरता बनाये रखने के संबंध में सीमित नही है, ऐसे नुकसान या क्षति या अन्य व्यक्ति के दावों जिसकी क्षतिपूर्ति की गई है, जो सुरक्षों दोषों के संबंध में उत्पन्न हो सकते है। आपूर्तिकर्ता भी, मोटर वाहन का यथास्थिति विनिर्माता, आयतक या रेट्रोफिटर को उनके खिलाफ कानूनी प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के लिए या इन नियमों के नियम 127 के उपनियम (9) के खंड (ई) और अन्य उपयुक्त नियम का पालन न करने के लिए उन पर लगाए गए जुर्माने को जारी रखेगा।

9. **रिकॉल किए गए उत्पादों का सुधार-** वाहन विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर या उनके प्रतिनिधि यथास्थिति जैसे ही व्यवहारिक होंगे, प्रभावित मालिक या उसके प्रतिनिधि द्वारा उन्हें या उनके डीलर को वापस किए गए प्रत्येक रिकॉल उत्पाद पर रिकॉल गतिविधि करेंगे। इस तरह की रिकॉल गतिविधि मालिक के लिए नि:शुल्क की जाएगी। रिकॉल गतिविधि के भाग के रूप में, विनिर्माता, आयातक, या रेट्रोफिटर, या उनके प्रतिनिधि रिकॉल उत्पाद के संबंध में सुधार जानकारी दर्ज करेंगे।

(2) दोष की प्रकृति के आधार पर विनिर्माता, आयातक, या रेट्रोफिटर, यथास्थिति जिनके वाहनों को वापस बुलाया जाता है, वे अधिनियम की धारा 110 ए की उप-धारा (3) में वर्णित आवश्यक कारवाई करेंगे।

10. **दोषपूर्ण भागों को नष्ट करना -** मोटर वाहन का यथास्थिति, विनिर्माता आयातक या रेट्रोफिटर, यह सुनिश्चित करेगें कि दोष वाले सभी भाग या जो उसमे हैं,या उनके कब्जे या नियंत्रण में आते हैं, नष्ट हो जाते हैं या उपयोग में के लिए अक्षम हो जाते हैं या पुन: उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। जब तक कि उन्हें ठीक कर सुरक्षित नहीं बना दिया जाता है। इसके अलावा विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर डीलरों या आपूर्तिकर्ताओं को भागों के सुरक्षित पुनरूद्धार के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करेगें।

11. **रिकॉल में सारवान परिवर्तन-** मोटर वाहन का यथास्थिति, विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, यदि रिकॉल की प्रकृति या कार्यक्षेत्र में कोई सारवान परिवर्तन है, तो अभिहित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करेगा।

12. **रिकॉल के रिकॉर्ड -** मोटर वाहन का यथास्थिति, विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, उनके द्वारा संचालित प्रत्येक रिकॉल से संबंधित रिकार्ड, उस अवधि तक, जब तक रिकॉल निष्क्रिय हो जाता है उसका प्ररूप ए और बी के अनुसार रिकॉर्ड बनाए रखेगा, और उसके बाद उक्त प्ररूप को अभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

13. **विद्यमान रिकॉल की अधिसूचना-** मोटर वाहन का यथास्थिति विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर,जब तक कि केंद्रीय सरकार या अभिहित अधिकारी द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है,तीस दिनों के भीतर प्ररूप बी के प्ररूप में सभी चालू रिकॉलों का का विवरण अभिहित अधिकारी को प्रदान करते हैं।

14. **रिकॉल का पूरा होना-**(1) मोटर वाहन का यथास्थिति विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर रिकॉल प्रोग्रेस डेटा की निगरानी करना और जैसे और जब अपेक्षित हो उसे अभिहित अधिकारी के साथ साझा करेंगे। अभिहित अधिकारी को वे रिकॉल समापन से पहले या पूर्ण होने पर या अन्यथा सूचित करेंगे।

(2) ग्राहकों को अंतिम नोटिस भेजने के बाद भी, वाहन विनिर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर, अपने डेटाबेस या अधिकृत डीलर नेटवर्क के माध्यम से ऐसे मामलों की निगरानी कर सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए रिपोर्ट किया जा सकता है। मोटर वाहन का यथास्थिति विनिर्माता आयातक, या रेट्रोफिटर, के पास रिकॉल रिलीज की तारीख से 1 वर्ष पश्चात् वापस बंद करने का विकल्प होगा। तथापि रिकॉल जारी करने की तारीख से तीन वर्ष पूरे होने पर, रिकॉल को स्वत: निष्क्रिय माना जा सकता है।

15. **लेखा परीक्षा-** ऐसे मामले में, अभिहित अधिकारी का मानना है कि एक निर्माता, आयातक या रेट्रोफिटर ने यहां विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है, अभिहित अधिकारी उचित सूचना अवधि के बाद मोटर वाहन यथास्थिति आयातक या रेट्रोफिटर के संबंधित रिकॉड का ऑडिट कर सकता है। इस तरह के ऑडिट से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के बिंदुओं को आगे के आदेश के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

<table>
<tr><td colspan="6">प्ररूप- ए
“रिकॉल” सूचना से संबंधित अधिसूचना</td></tr>
<tr><td colspan="2">सेवा में
भारत सरकार</td><td>तारीख:

संदर्भ सं.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">विनिर्माता /आयातक/ रेट्रोफिटर का संपर्क विवरण</td></tr>
<tr><td>विनिर्माता का नाम</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>पता और दूरभाष नं.</td><td colspan="5">(तारीख/माह/वर्ष)</td></tr>
<tr><td colspan="6"><u>उत्पाद का विवरण</u></td></tr>
<tr><td rowspan="2">वाहन का नाम</td><td rowspan="2">वाहन श्रेणी (2 –व्हीलर/4 व्हीलर को छोड़कर)</td><td rowspan="2">वाहन रूपांतर</td><td colspan="2">विनिर्माण अवधि (तारीख/माह/वर्ष) (DD/MM/YYYY)</td><td rowspan="2">टिप्पणियां</td></tr>
<tr><td>(से)</td><td>(तक)</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">लक्षित ‘रिकॉल’ वाहनों (घरेलू बाजार के लिए) के वीआईएन नंबर रेंज (वाहन पहचान संख्या) का अनुक्रम:</td></tr>
</table>

लक्षित 'रिकॉल' वाहनों की कुल संख्या	
दोष का विवरण:	
उपचारात्मक कार्रवाई:	
'रिकॉल' घोषणा की तारीख का प्रस्ताव	
अभियान समाप्ति तारीख:	
कोई अन्य सुसंगत जानकारी:	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	**तारीख:**

प्ररूप-बी

क. प्रत्येक रीकॉल में सम्मिलित रीकॉल उत्पादों की संख्या : _____

ख. प्रत्येक रिकॉल के अधीन पिछले अवधि के दौरान उन वाहनों की संख्या जिन पर रिकॉल गतिविधि की गई है: _____

ग. रिकॉल कार्रवाई को पूरा करने की अपेक्षित तारीख : _____

घ. अभिहित अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सुसंगत जानकारी: _____".

[फा.सं. आरटी-11036/63/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्याक 156(अ), तारीख 8 मार्च, 2021 को अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

G.S.R. 173(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 337 (E), dated the 29th May, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th May, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 110, 110A and 110B of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2021.

2. They shall come into force with effect from 1st day of April, 2021

3. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 126, -

(a) after the words “every manufacturer or importer of motor vehicles, including”, the following words “agricultural Tractor, Construction Equipment vehicle, Combine Harvester, Power Tillers.” shall be inserted;

(b) for the first, second, third, fourth and fifth provisos, the following provisos shall be substituted, namely: -

“Provided that all the testing agencies specified in this rule, shall establish compliance with the quality standard, specifically AIS (Automotive Industry Standard), within one year from the date of publication of such standards under this rule, and the testing agencies to be notified under this rule shall be in compliance with the standards from the date of notification of such standards or date of application under this rule, whichever is later:

Provided further that for the purpose of accreditation, registration and regulation of testing agencies under this sub-rule, the quality control and procedure prescribed in AIS notified under this rule shall be followed:

Provided also that the procedure for type approval and certification of motor vehicles for compliance to these rules shall be in accordance with the AIS :017-2000 as amended from time to time or procedure laid down by the Central Government, if any and information on technical specifications shall be submitted by the vehicle manufacturer in accordance with AIS-007 (Rev.5):2014 as amended from time to time:

Provided also that in respect to the vehicles imported into India as completely built units (CBU), the importer shall submit a vehicle of that particular model and type to the testing agencies for granting a certificate by that agency as to the compliance to the provisions of the Act:

Provided also that altered, retrofitted or adapted motor vehicles shall be tested and type approved by the testing agencies specified in this rule, or self-certified by original equipment manufacturers, or self-certified by the work-shops authorised by the State Government, in accordance with section 52 of the Act and rules made thereunder:

Provided also that a bus body builder may self-certify the bus body built on a drive away chassis compliance to the requirements of the Code and Practice for Bus Body Design and Approval in accordance with AIS:052, (Rev. 1) as amended from time to time, as per the procedure notified by the Central Government in the official Gazette:

Provided also that the bus body builders shall provide a unique identification number to the self-certificate in the format XXXX XXXXXXXXXX where in the first four characters represent body builder identification code followed by four digit indicating the year of fabrication followed by six digit signifying the serial number in the particular year:

Provided also that the prototype of bus bodies and truck bodies may be submitted for testing and type approval to engineering colleges specified by the State Government or the State Road Transport undertakings duly approved by the State Government.”.

4. In the said rules, for rule 126A, the following rule shall be substituted, namely: -

"126A. Type Approval and Conformity of Production. - (1) Where the Testing Agency approves a vehicle as a type vehicle, they shall issue a certificate (hereafter referred to as a "type approval certificate") as per procedures laid down in AIS 017, as amended from time to time, and the procedures laid down by Central Government stating that the vehicle complies with the provisions of rules made under section 110;

(2) A type approval certificate may be issued subject to the inspection by officers of the Testing Agency conforming with the applicable type approval requirements on the test vehicle submitted by manufacturer, importer or dealer.

(3) The denial of the Type Approval Certificate by the Testing Agency shall be accompanied by a report providing the reasons for the denial of the certificate.

(4) The Central Government or any officer appointed under this rule may cancel or suspend the type approval certificate issued to a motor vehicle, if it appears to them, that there has been a breach of any of the conditions subject to which a type approval certificate has been granted:

Provided that prior to exercising the powers under this sub-rule, the Central Government, or any officer appointed under this sub-rule, shall give the holder of the type approval certificate an opportunity of being heard and filing written response:

Provided further that where the Central Government, or any officer appointed under this sub-rule, cancels or suspends a certificate in pursuance of this sub-rule, an order shall be issued stating the grounds for the cancellation or suspension:

(5) The testing agencies referred to in rule 126 shall, subsequent to the grant of the Type Approval Certificate, under this rule shall also conduct tests on motor vehicles forconformity of production drawn from the production line of the manufacturer or dealer or warehouse, as the case may be, to verify whether these vehicles conform to the provisions of rules made under section 110 and section 110B of the Act:

Provided that in case the number of vehicles sold in India for a given base model and its variants manufactured in India or imported to India are less than 250 in any consecutive period of six months in a year, then such base model and its variants need not be subjected to the above test, if at least one model or its variants manufactured or imported by that manufacturer or importer, as the case may be, is subjected to such tests at least once in a year:

Provided further that, in case the number of base models and its variants manufactured or imported is more than one and if the individual base model and its variants are less than 250 in any consecutive period of six months in a year, then the testing agencies can pick up one of the vehicles out of such models and their variants once in a year for carrying out such test.".

6. In the said rules, rule 126B shall be omitted.

7. In the said rules, after rule 127, the following rules shall be inserted, namely: -

"127A. Non-Compliance with Standards. - (1) Subject to the provisions of this rule, an Investigating Officer, or officers, empowered under this rule, shall conduct an investigation and exercise such powers as required to enforce compliance of standards specified by order under section 109 and compliance of standards prescribed under section 110 of the Act.

(2) The Investigating Officer, for the purposes of determining whether there has been a contravention of standards imposed by or under this Chapter, may enter the premises of a vehicle manufacturer or component manufacturer or importer or retrofitter of a motor vehicle or component, as the case may be other than premises occupied only as a person's residence, and inspect any record or procedure connected with the production of a component including software, or motor vehicle or retro-fitment, including any arrangements for carrying out a test. Such entry and inspection by the Investigating Officer shall be after obtaining the prior permission of an officer not below the rank Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways.

(3) If the Investigating Officer have reasonable grounds to believe that there has been a contravention of standards imposed by or under this Chapter, he may—

(a) for the purpose of ascertaining whether there has been any such contravention, require the manufacturer, importer or retrofitter, or any other person, as the case may be, to supply all necessary information relating to the motor vehicle, or component under investigation, including by the production of records, available in physical or electronic form;

(b) require any record which is stored in an electronic form and is accessible from the premises, to be produced in a form which is convenient and can be stored for record;

(c) obtain a sample of the finished motor vehicle that is, or contains a constituent part or software that is suspected to be, in violation of the standards, for the purpose of ascertaining, by testing or otherwise, whether there has been any such contravention; and

(d) require the production of the stock register of the vehicle under investigation, sold and unsold.

(4) An officer obtaining samples under clause (c) of sub-rule (3) shall provide to the person from whom they were taken, written reasons for obtaining samples under FORM 50A;

(5) After obtaining a sample under clause (c) ofsub-rule (3), the officer(s) may send the sample to a testing agency as may be specified under this rule by the Central Government or to any other agency as the Central Government may specify in this regard, or more than one such agency as may be determined by the Investigating Officer(s), and such agency(s) shall send a report to the officer(s) within sixty days on compliance with the standards imposed by or under this Chapter, as per FORM 50B;

(6) The cost for conducting tests by the agency shall be borne by the manufacturer, importer or retrofitter and if no deviation from the specifications are reported by the agencies conducting such test then the manufacturer, importer or retrofitter may seek the reimbursement of the fee incurred on such testing from the Central Government.

(7) Upon the receipt of the report of the Agency under sub-rule (5), the Investigating Officer shall, submit such report along with the findings of the investigation, in FORM 50C, to the Central Government, or such officer as may be designated by the Central Government in this regard;

(8) On receipt of the findings of the investigation officer under sub-rule (7), the Central Government, or such officer as may be designated by the Central Government in this regard, may initiate proceedings against the manufacturer, importer, or retrofitter of a motor vehicle, as the case may be, and such other persons as deemed necessary, under section 182A of the Act;

Provided that voluntary corrective action taken by the manufacturer, importer or retrofitter, as the case may be, with respect to the motor vehicle in which the non-compliance of the standard has been detected may be taken into consideration by the Central Government when initiating proceedings under section 182A of the Act:

Provided further that action under this rule shall not be initiated by the Central Government six months beyond the date on which the findings of the Investigating Officer have been received.

(9) During the proceedings initiated under section 182A, the Central Government, or such officer designated by the Central Government in this regard, may issue a suspension order as per rule 127B.

127B. Suspension Order. - (1) The Central Government, or such other officer as may be designated by the Central Government in this regard, may issue a suspension order to the manufacturer, importer or retrofitter, as the case may be, during the pendency of proceedings under section 182A, and prohibit the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, on whom it is served from doing any of the following things, namely: -

(a) placing the model or variant of the motor vehicle, its constituent part or software under investigation on the market, offering to place it on the market, agreeing to place it on the market, or exposing it for placing on the market, in India, or

(b) supplying the model or variant of motor vehicle or component under investigation, offering to supply it, agreeing to supply it, in India:

Provided that the period of suspension under the suspension order shall not exceed the term of the proceedings initiated under section 182A.

(2) A suspension order served in relation to a motor vehicle or component under investigation, may require the manufacturer, importer or retrofitter on whom it is served to keep the officer informed of the whereabouts of such motor vehicles or their constituent parts.

127C. Defective Motor Vehicles and Recall Notice. - (1) The Central Government shall designate an officer to exercise such powers as provided in sub-section (5) of section 110A and take necessary action, as the Designated Officer for the purposes of this rule;

(2) The owner of a motor vehicle, a testing agency, or any other source as may be notified by the Central Government, may make an application through the Vehicle Recall Portal, to the Designated Officer under this rule, to designate a particular type of motor vehicle as a defective motor vehicle.

Explanation 1- For the purposes of this rule "defect" means a fault in any vehicle or component or software that poses or is likely to pose undue risk to road safety or environment, and that exists in a group of vehicles of the same design or manufacture, or items of equipment of the same type and manufacture, and which originated at design, manufacturing or manufacturer's assembly stage;

Explanation 2. - For the purposes of this rule, a "defective motor vehicle" shall mean a motor vehicle that falls within the scope of sub-section (1) of section 110A of the Act, and shall include a motor vehicle which contains a constituent part, as well as software, which may be defective.

(3) The application made under sub-rule (2) shall contain such information about the particulars of the motor vehicle, the complainant or owner of the motor vehicle, nature of the defect in the motor vehicle or component or software, the voluntary action undertaken by the manufacturer, importer or retrofitter, as the case may be, of the motor vehicle for resolving the defect, if any, and such other information, as may be specified by the Central Government;

(4) The Designated Officer may suo moto issue a recall notice to the manufacturer, importer, or retrofitter as the case may be of a motor vehicle, where such officer has reasonable grounds to believe that a motor vehicle is a defective motor vehicle, and that the defect exists in a group of vehicles of the same design or manufacture, or items of equipment of the same type and manufacture and which originated at design, manufacturing or assembly stage, and that it has already been supplied or made available to consumers;

Provided further that prior to issuance of the recall notice, the Designated Officer shall follow the procedure prescribed under sub-rule (5) and (6):

(5) If the Designated Officer has received an application under sub-rule (2), or has suo moto initiated action under sub-rule (4), [after obtaining the prior permission of an officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways] shall issue a show cause notice to the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, and such manufacturer, importer or retrofitter may, within thirty days from receipt of the show cause notice make such response as deem fit to the Designated Officer:

Provided that the Designated Officer shall initiate the procedure under this rule on the basis of application made by owner of motor vehicles within last twelve months on the basis of information received which may include information from Vehicle Recall Portal that such percentage of owners as may be notified for a particular defect in a type of motor vehicle have made a complaint:

Provided further that the standard applicable to the motor vehicle shall be the standard in force at the time of manufacture, import or retrofitment, of the motor vehicle:

Provided also that this recall shall be limited to vehicles manufactured or imported or retrofitted which are less than seven years old from the date of manufacturing, import or retrofitment.

(6) After receiving the response from the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle as the case may be, under sub-rule (5), or if the said manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, has not made a response within thirty days the Designated Officer shall adopt such procedure as it deems fit to investigate whether the motor vehicle is a defective motor vehicle.

(7) The cost or fees of any tests conducted on the motor vehicle, or its constituent part or software, under sub-rule (4) shall be borne by the manufacturer, importer or retrofitter, of a motor vehicle as the case may be.;

(8) If the Designated Officer finds that the vehicle is a defective motor vehicle and a recall notice is required to be issued, or the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle as the case may be, has made a declaration under rule 127D, the Designated Officer shall:

(a) require the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, to produce all documents and necessary information on the manufacture of the motor vehicle;

(b) require the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, to produce all information; and

(c) require the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, to give such other information as may be necessary for the issuance of the recall notice.

(9) The Designated officer may, after following the procedure laid down under this rule, issue a recall notice, to the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle requiring them to take such action as specified therein, including:

(a) where and to the extent it is practicable to do so, contact consumers who have purchased the motor vehicle in order to inform them of the recall;

(b) publish a notice in such form and such manner as is likely to bring to the attention of purchasers of the motor vehicle the risk the motor vehicle poses and the fact of the recall;

(c) make arrangements for the collection or the rectification of motor vehicle and where ever required facilitate collection or delivery of the motor vehicle from consumers who have purchased it or for its disposal;

(d) such additional requirements on the recipient of the notice as are necessary with a view to achieving the return of the motor vehicle from consumers to the person specified in the notice or its disposal; and

(e) impose such fine within the limits, as per Table given below on case to case basis, as directed by the Central Government. -

TABLE

No of Vehicles Recalled (for recalls other than 110A(4) of the Motor Vehicle Act 2019)				**Fine**
2W	**3W & L7**	**M1, N1**	**M2, M3, N2, N3, T3, T4**	
1 to 6000	1 to 3000	1 to 1,000	1 to 500	10 Lakhs
6001 to 60,000	3.001 to 30,000	1,001 to 10,000	501 to 5000	20 Lakhs
60,001 to 6,00,000	30,001 to 3,00,000	10,001 to 1,00,000	5,001 to 50,000	50 Lakhs
6,00,000 Plus	3,00.000 Plus	1,00,000 Plus	50,000 Plus	100 Lakhs

(10) Any manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, aggrieved by recall notice may, within 90 days from the date of receipt of the recall notice, appeal to High Court.

127D. Obligations of Manufacturers, Importers or Retrofitters. - (1) Every manufacturer, importer or retrofitter, as the case may be, of a motor vehicle shall have in place procedure for regulating the recall of motor vehicle as specified in Annexure XII to these rules. Every manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, shall also have it placed in the organisation, a procedure to enable them to comply with the said procedure. The said procedure may be reflected with in the organisations quality manual.

(2) Without prejudice to the generality of the obligation referred to in sub-rule (1), the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, is required to:

(a) inform risks posed by the motor vehicles being manufactured, imported or retrofitted, by them;

(b) conduct investigations, and may take samples of motor vehicles and subject them to safety checks;

(c) maintain a register of recall related complaints and keep dealers informed of such monitoring;

(d) take appropriate action necessary to avoid recall related risks, including recall of the motor vehicle from the market, adequately and effectively warning consumers; and

(e) comply with requirement laid down in Annexure XII of these rules.

(3) Where a manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, knows on the basis of the information in their possession, that a motor vehicle manufactured, imported or retrofitted by them poses risks to the consumer and are potentially defective motor vehicles within the meaning of section 110A of the Act, they shall immediately inform the Designated officer in this chapter, giving details, in particular, of the steps taken or proposes to take to prevent risk to the consumer.

(4) When the manufacturer, importer or retrofitter, of a motor vehicle as the case may be, is served with a recall notice under the rule 127C, they shall take such measures as specified in the sub-section (3) of section 110A of the Act.

(5) Every manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall notify, through their web site or registered post or electronic mail, regarding the initiation of recall action to all the registered owner of the affected vehicles and regarding the existence of the defect for which recall has been initiated and shall also include the evaluation of its risk to the safety of occupants and road users.

(6) The communication shall instruct registered owner of the defective vehicle on the available remedies and modalities for availing from the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be.

(7) In the event there is no satisfactory response from the registered owner or their legal representative after sending the first recall communication, the manufacturer, importer or retrofitter, of a motor vehicle as the case may be, shall send at least one more subsequent communication. If such registered owner does not respond or take action even after sending a second reminder, the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, shall not

be held liable for failure to complete the recall process in such cases. Further in cases where the registered owners are not traceable, even after concerted efforts by the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, they shall not be held liable for failure to complete the recall process:

Provided that such communication to the registered owner if made in an electronic mode should be complied as per the provisions of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000)

(8) The manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall maintain the records as per Form A and B of Annexure XII relating to each recall conducted by him up to a period when the recall becomes inactive and thereafter submit the said forms to the Designated Officer.".

7. In the said rules, after FORM 50, the following Forms shall be inserted, namely: -

"FORM NO. 50 A

[see Rule 127A (4)]

Form to be submitted by Investigating Officer to vehicle manufacturer or component manufacturer or importer or retrofitter, as the case may be of a motor vehicle or component

Notice ID	(Autogenerate)	**Date**	(Autogenerate)

Site of Investigation:

Manufacturer / Importer Name	(text box)
Manufacturer Importer Address	(text box)

Issue/ Subject of Investigation:

Background:

Pre-fill text box, to be before entering manufacturer premises; will remain static once filled

Reasons for Investigation:

Pre-fill text box, to be before entering manufacturer premises; will remain static once filled

Evidence

Type (Data, Sample, Process, news,other)

Data		Sample		Process		Other	

Evidence details:

Data	*To be active when "Data" checkbox is selected*
File No.	(text box)
Data date	(DD/MM/YYYY)
Other details	(text box)
Location	(text box)
Sample	*To be active when "Sample" checkbox is selected*

Vehicle		Component		Sub-Assembly	

Vehicle Make	(text box)
Vehicle Model	(text box)
Chassis No.	(text box)

Engine No./ Motor ID	(text box)				
Part Make	(text box)				
Part Model	(text box)				
Part ID/ No.	(text box)				
Seizure/ sealing of Batch/ production volume					
No of samples/ vehicles seized					
Process	*To be active when "Process" checkbox is selected*				
(text box)					
Other	*To be active when "Other" checkbox is selected*				
(text box)					
(Add more sheets for additional evidence) - Button for evidence addition					
Suspicion					
(text box)					
Witnesses Interview Required	**Yes**		**No**		
Witness No.	Sr. No. - auto generate if **Yes**, NA if **No**				
Witness Name	(text box) - editable if sr. no. generated; freezed cell, if NA				
Witness Designation	(text box) - editable if sr. no. generated; freezed cell, if NA				
Witness Department	(text box) - editable if sr. no. generated; freezed cell, if NA				
Testimony:					
(text box) - editable if sr. no. generated; freezed cell, if NA					
Witness Signature	*Provision for digital signature*				
(Add more sheets for additional witnesses) - Button for witness addition					
Enclosures/ document ----					
Manufacturer representative					
Name	(text box)				
Designation	(text box)				
Department	(text box)				
Signature	*Provision for digital signature*				
Stamp/ Seal					
Investigating Officer					
Name	(text box)				
Organisation	(text box)				

Designation	(text box)
Department	(text box)
Signature	*Provision for digital signature*
Stamp/ Seal	

FORM 50B (See rule 127A(5))		
Form to be submitted by Testing Agency to the Investigation Officer **(**INVESTIGATION REPORT FROM TESTING AGENCY)		
Date:		
1.0	Report No.	
2.0	Investigation Reference	
3.0	Name of the Investigation Officer handling the complaint for Central Government	
4.0	Name and Address of the Vehicle Manufacturer / Importer/ Retrofitter	
5.0	Nature and Details of Defect Reported	
6.0	Methodology of Investigation carried out by the Testing Agency (Testing / Verification / Audit)	
7.0	Site where Investigation was carried out	
8.0	Test Report(s) / Details referred (If applicable)	
9.0	Sample (Vehicle/ System/Component)	
9.1	Vehicle Make	
9.2	Vehicle Model / Variant certified for CMVR	
9.3	VIN / Chassis No.	
9.4	Engine No./ Motor ID No.	
9.5	System / Component/Software Make	
9.6	System / Component Model	
9.7	System / Component/Software ID No.	
10.0	Details of Production Batch and Production Volume from where the sample was drawn	
11.0	Specific approach adopted for investigation, if any.	
12.0	Details of Investigation carried out by the Testing Agency (Enclosures may be added, if required)	
13.0	Specific Reports / Enclosures considered relevant for this investigation, if any.	
14.0	Conclusions drawn by Testing Agency	
15.0	Name, Signature, Credentials of Authorised Signatory	

FORM 50C (See rule 127A(7))		
Form to be submitted by Investigation Officer to the Central Government **(**INVESTIGATION REPORT FROM INVESTIGATING OFFICER)		
Date:		
1.0	Report No.	
2.0	Investigation Reference	
3.0	Name of the Investigation Officer handling the complaint for Central Government	
4.0	Name and Address of the Vehicle Manufacturer / Importer/ Retrofitter	
5.0	Nature and Details of Defect Reported	
6.0	Methodology of Investigation carried out by the Testing Agency (Testing / Verification / Audit)	
7.0	Site where Investigation was carried out	
8.0	Test Report(s) / Details referred (If applicable)	
9.0	Sample (Vehicle/ System/Component/Software)	
9.1	Vehicle Make	
9.2	Vehicle Model / Variant certified for CMVR	
9.3	VIN / Chassis No.	
9.4	Engine No./ Motor ID No.	
9.5	System / Component/Software Make	
9.6	System / Component Model	
9.7	System / Component/Software ID No.	
10.0	Details of Production Batch and Production Volume from where the sample was drawn	
11.0	Specific approach adopted for investigation, if any.	
12.0	Details of Investigation carried out by the Testing Agency (Enclosures may be added, if required) and the findings	
13.0	Specific Reports / Enclosures considered relevant for this investigation, if any.	
14.0	Findings/recommendations by the Investigating Officer	
15.0	Name, Signature, Credentials of Authorised Signatory	.”.

8. In the said rules, after Annexure XI, the following Annexure shall be inserted, namely: -

“ANNEXURE-XII

(refer rule 127C)

Procedure for regulating the recall of the motor vehicle

1. **Definitions:**

(a) “Component” means any part, assembly, fitted in the vehicle or supplied along with the vehicle by the vehicle manufacturer.

(b) “Designated Officer” means the officer appointed under rule 127C.

(c) "Recall" means Motor vehicles are required to be designed and manufactured as per applicable standards in such a way as to be sufficiently safe for road use. Sometimes, after release to markets if, in the opinion of manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, some vehicles have issues which maybe a 'defect' as defined in rule 127C, such vehicles are to be inspected and rectified by the manufacturer or importer (distributor), free of cost. This activity is called as "Recall".

(d) "Recall product" shall mean a product wherein a defect has been identified and confirmed post due investigation.

(e) "Recall activity" in relation to a recall means, the inspection of potentially affected product and the rectification or, where necessary, replacement of a defective constituent, part or software if the recall product is found to have a defect in respect of which the recall is being conducted. Recall activity shall not necessarily require replacement of the vehicle.

(f) "Recall start date" means that date in which manufacturer, importer or retrofitter, of a motor vehicle, as the case may be, shall make the registered owner of the defected vehicle, aware of the recall initiatives through call, email and electronic or print media.

(g) "Vehicle Recall Portal" means the data base of the safety recall or recalls created, uploaded and maintained by or on behalf of the Ministry of Road Transport and Highways or the Designated Officer, referred to in Rule 127C. The reports of the data available in this portal may be made available to the manufacturer, importer or retrofitter.

2. Assignment of responsibility. - Every manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, shall assign responsibility for the initiation, conduct and supervision of recalls, for reporting progress of recall to the Central Government or the Designated Officer and for the handling of such other matters within the organisation of manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be.

3. Establishment of procedures by manufacturer, importer or retrofitter. - Every manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall establish and maintain within its organisation such procedures which will enable the manufacturer, importer or retrofitter to comply with the procedures prescribed herein and such proceedings shall also be made available in the public domain to the citizens for their information.

4. Investigation relating to safety defects by the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle. –

(i) The determination of a defect requires a proper risk assessment based on factors such as probability of occurrence of failure, severity of consequences of a potential failure as well as controllability by the driver of the vehicle.

(ii) If a manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, has reason to believe that a defect exists, or may exist, in any model, type or category of a product, the manufacturer, importer or retrofitter, shall immediately commence investigation to determine whether the defect exists.

(iii) The manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, shall ensure that the investigation is carried out expeditiously and in a manner which will enable them to determine properly and promptly whether the defect exists and, if so, the nature of the defect and the products potentially affected by the defect.

(iv) In carrying out the investigation, the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, shall consider: -

(a) the information or advice received, the incident or incidents which may point to the existence of a defect and the reported number and frequency of the incidents;

(b) when, and the circumstances in or under which, the incidents have occurred or may occur;

(c) the consequences of the incidents resulting from the defect; and

(d) any other relevant facts and circumstances directly related to incident indicating the defect;

(v). If the investigations and considerations do not lead to a conclusion that the safety defect exists, the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, may decide the vehicle to be ineligible for recall action and shall continue to monitor the product.

5. Obligation to conduct a recall. -

1. General Obligations. -

(a) If, as a result of the investigations and considerations referred to in clause 4 of this Annexure, a defect is found to exist in a product, the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall conduct a recall in accordance with the prescribed procedures.

(b) The standards applicable to a motor vehicle shall be those prevailing at the time of manufacture, import or retrofitment, of that particular motor vehicle.

2. Exceptions-

(a) if a manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, identifies a defect in their product before it is delivered to the customer, they would not be under obligation to conduct a safety recall in respect of such product.

(b) the timely repairs, maintenance and good up keep of the vehicle, as advised in owner's manual or handbook, is the responsibility of the vehicle owner. Accordingly, upon investigation by manufacturer, importer or retrofitter the vehicle would be ineligible for 'recall' action for reported 'defects' in case any fitment or alteration has been carried out by the vehicle owner or any agency that has not been authorized by the vehicle manufacturer, importer or retrofitter, or the legal provisions of Act which affects the performance and has led to a defect during the usage of the vehicle;

(c) any vehicle would be ineligible for recall if it has been used for a purpose other than the purpose for which it was designed and approved.

(d) any vehicle would be ineligible for recall which has developed a defect because of 'force majeure' including but not limited to vandalism during civil disturbances, or natural disasters or acts of terrorism.

3. Identification of recall products and determination of manner of rectification- If a manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, is required to conduct a recall under clause 4 of this Annexure, they shall, without undue delay, -

(a) identify the recall products by unique number(s), Vehicle Identification Number, serial number or other such number, date of manufacture and/or by such other identifying particulars as are available or as can reasonably be obtained; and

(b) determine the manner in which the recall products are to be rectified (if rectification is required) so as to eliminate the safety defect therefrom.

4. Preparation and publication for safety recall- When a manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, has identified the recall products and determined the manner in which the recall products are to be rectified, the manufacturer, importer or retrofitter, their representatives, or authorised dealers, shall-

(a) having regard to the nature of the defect and/or the urgency for rectification, determine the steps which are to be taken to notify customers of the safety recall as prescribed in the rules and, in particular, the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, or their representatives shall prepare:

(i) from such records and sources as are available to the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, a list containing the names, addresses and other required details of the owners of the recall products;

(ii) a notice to the authorised dealer(s) informing them of the recall and details of the actions which the manufacturer, importer or retrofitter, and their dealers would need to take for initiating and conducting the recall;

(iii) a communication to the Designated Officer as prescribed in the rules;

(iv) a notice to owners of the recall product informing them of their rights and the actions they need to take to support the recall initiative.

(b) if the nature of the defect and/or urgency for rectification of the recall products requires immediate action, the manufacturer, importer or retrofitter, as the case may be, shall make the owners of the relevant product aware of the safety defect through electronic and or print media, disseminating such information as is necessary to inform owners of the recall products and the actions which such owners would need to take immediately.

5. Availability of replacement items and recall activity instructions- When the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, has identified the nature of the defect and the recall products and determined the manner in which the defect will be rectified, the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, shall take such actions as are necessary to ensure that their dealers have, or will have at the appropriate time, the parts, assemblies and/or material including software, and the technical and other instructions required to rectify the defect as and when the owners present the recall product.

6. Notice to the Designated Officer. - The manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, or their authorised dealers or representatives, as the case may be, shall, within seven working days of starting a voluntary recall, give notice in writing on paper or in electronic form to the Designated Officer in the format given in Form A.

7. Registered Owner's or legal representative of the registered owner's failure to respond. - If a registered owner of a recall product fails to respond to the first notice or fails to bring back the recall product for inspection and, where appropriate, rectification, within a period of ninety days from the issue of first notice, the manufacturer, importer or retrofitter, or their representatives, or authorised dealers, as the case may be, shall send a final notice to the owner within next thirty days and monitor the progress as prescribed in the rules. Recall progress data shall be shared with the Designated Officer as required.

8. Responsibility of the suppliers of products of manufacturer, importer or retrofitter. - If a product has, or could have, a safety defect and the product was sourced by the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, from a third party supplier, the manufacturer, importer, or retrofitter, of the motor vehicle, as the case may be, shall immediately intimate such third party. Where the manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, deems it appropriate, they shall seek the assistance of that third party in determining the nature of the safety defect and the manner in which it would need to be rectified. The manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, shall advise the third party of their decision to conduct a safety recall in respect of such products as soon as possible after that decision is made. If it is ascertained that the safety defect is a result of an act or omission or non-conformity with the specifications and standards for compliance, as provided by the manufacturer, importer or retrofitter, as the case may be, of the motor vehicle to the supplier, the supplier shall be liable for all such acts necessary for rectification of recall products, including but not limited to continuing to keep the manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle, as the case may be, indemnified for such loss or damage or third party claims that may arise in connection with the safety defects. The supplier shall also continue to keep the manufacturer, importer or retrofitter, of motor vehicle as the case may be, indemnified for any proceedings initiated by a statutory authority against them, or fines imposed on them for non-compliance with clause (e) of sub-rule (9) of rule 127 of these rules.

9. Rectification of recall products. - (1) The vehicle manufacturer, importer or retrofitter or his representative, as the case may be, shall carry out, as soon as is practical, the recall activity on each recall product brought back to them, or to their dealer or representative, by the affected owner or his representative. Such recall activity shall be carried out free of charge to the owner. As part of the recall activity, the manufacturer, importer, or retrofitter, or their representative shall record the rectification information regarding the recall product.

(2) Based on the nature of defect, at the discretion of the manufacturer, importer, or retrofitter, as the case maybe, whose vehicles are recalled shall take necessary actions mentioned in sub-section (3) of section 110A of the Act.

10. Destruction of defective parts. - The manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall ensure that all parts having a defect and which are in, or come into, their possession or control, are destroyed or rendered incapable of use or reuse unless they are reworked and made safe. Further, the manufacturer, importer or retrofitter shall provide necessary instructions to dealers or suppliers, as the case may be, for the secure retrieval of parts.

11. Substantial change in recall. - The manufacturer, importer or retrofitter of the motor vehicle the case may be, shall promptly notify the Designated Officer, if there is any substantial change in the nature or scope of recall.

12. Records of recall. -The manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall maintain the records, as per forms A and B, relating to each recall conducted by them up to a period when the recall becomes inactive and thereafter submit the said forms to the Designated Officer.

13. Notification of Existing Recalls. - The manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall, unless directed by the Central Government or the Designated Officer, provide to the Designated Officer within thirty days, details of all ongoing recalls being conducted by them in the format at Form-B.

14. Completion of Recall. – (1) The manufacturer, importer or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall continue to monitor the recall progress data and share it with Designated Officer, as and when required. They shall inform the Designated Officer before closure of recall, on completion or otherwise.

(2) Even after sending the final notice to customers, the vehicle manufacturers, importer or retrofitter, may monitor such cases through their database or authorised dealer network and address them as and when reported for rectification. The manufacturer, importer, or retrofitter, of the motor vehicle as the case may be, shall have an option of closure of recall after one year from recall release date. However, on completion of three years from the recall release date, the recall may be deemed automatically inactive.

15. Audit. - In case, Designated Officer believes that a manufacturer, importer or retrofitter has not complied with the procedure prescribed herein, Designated Officer may conduct audit of the related records of the manufacturer, importer or retrofitter of a motor vehicle as the case may be, after a reasonable notice period. Action points arising out of such an audit shall be submitted to the Central Government for further orders.

FORM- A
NOTIFICATION REGARDING "RECALL" INFORMATION

To Government of India	Date: Reference No.	

Manufacturer's /importer/ retrofitter Contact Details

Manufacturer's/importer/ retrofitter Name	
Address & Telephone Number	

Product Details

Vehicle Name	**Vehicle Category (ex. 2 –wheeler/4 Wheeler)**	**Vehicle Variant**	**Manufacturing Period (DD/MM/YYYY)**		**Remarks**
			(FROM)	**(TO)**	

VIN Numbers Range (Vehicle Identification No.) of target 'Recall' vehicles (for Domestic Market):

Total number of target 'Recall' vehicles:	

Description of defect:
Remedial Actions:

Proposal of Date of 'Recall' Announcement:	
Campaign End Date:	

Any other relevant information:

-

Authorized Signatory	**Date:**	

FORM-B

a.	The number of recall products involved in each recall	: _____
b.	The number of vehicles on which the recall activity under each recall has been carried out during the previous period	: _____
c.	Expected date for completion of recall activity	: _____
d.	Any other relevant information as required by the Designated Officer:	: _____".

[F.No. RT-11036/63/2019-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R 156(E), dated the 8th March, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.15 12:39:01 +05'30'